

# HRA AN USIUS The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042020-219097 CG-DL-W-22042020-219097

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, मार्च 22-मार्च 28, 2020, शनिवार / चैत्र 2-चैत्र 8, 1942

No. 12]

NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 हैं।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

				=	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
	-	¥	स्तर	पद	के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन	*04 (2020)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच ।
थियेटर	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	स्तर-1	-	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
परिचर	आधार पर	समूह 'ग',	(18000-56900		जारी अनुदशों अथवा आदेशों के
- ^	परिवर्तन किया	***	रुपये)		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	जा सकता है।	अराजपत्रित,	9		साधारण अभ्यर्थियों की दशा में
		अननुसचिवीय	-		चालीस वर्ष तक और अनुसूचित
		9 11 1			जाति या अनुसूचित जनजाति के
	t &	*			अभ्यर्थियों की दशा में पैतालीस वर्ष
		9			तक शिथिल की जा सकती है।
			2 11		टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण करने के
			2		लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से
	-				आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई
	8				अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम
		4			तारीख़ जो असम, मेघालय,
	*				अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					· ·
	- B				नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल
	==	2			प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला
				_	और चम्बा जिला का पांगी उपखंड

		और लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान
- A		और निकोबार द्वीपसमूह और
4		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
	या नहीं ।	.*	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र । आवश्यक अनुभव:			
कम से कम 50 बिस्तरों वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का न्यूनतम छह महीने का अनुभव।			
<b>टिप्पण:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए,			
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम			
प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		, e	
उपलब्ध हान का सम्भावना नहा ह ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
आमेलन द्वारा भर्ती की		परिस्थितियों में संघ
दशा में वे श्रेणियां जिनसे		लोक सेवा आयोग से
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/		परामर्श किया जाएगा
आमेलन किया जाएगा		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह- ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	लागु नहीं होता।
	निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:	
	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष	;
	2. ऑपरेशन थियेटर विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	,
4 g g	3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में मफदरजंग अस्पताल - सदस्य	1
1	का कार्य देख रहे उपनिदेशक	

[फा.सं. ए.11018/51/2019-एमएच-II] जी.पी. सामंत, अवर सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th March, 2020

- G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjang Hospital Group 'D' Posts Recruitment Rules, 1982 insofar as it relates to the post of Operation Theatre Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Attendant in Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6.** Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and Other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

**SCHEDULE** Name Number Classification Whether of Level pay Age-limit for direct recruits post posts matrix selection post or nonselection post (1)(2)(4)(5) (6)Operation \*04 (2020) Level 1 in the pay Between 18 and 25 years. General Central Not Theatre \*subject Service, Group 'C', matrix (Rs. applicable Relaxable for Government Attendant variation Non-Gazetted, 18000-56900). Servants up to the age of forty dependent on Non-Ministerial years in the case of general workload candidates and up to forty-five years for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall

them.

		o. ca da da A A M. Sa D D D H U A	e the closing date for receipt f applications from andidates and not the closing ate prescribed for those in ssam, Meghalaya , runachal Pradesh, Mizoram, Ianipur, Nagaland, Tripura, ikkim, Lahaul and Spiti istrict and Pangi Subivision of Chamba District of imanchal Pradesh and the nion territories of Ladakh, ndaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
			various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment
and	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	
(ii) Certificate in First Aid from a recognised	-		
Institute.			
Essential Experience :	**		
Minimum six months experience of working	× ,		
in an Operation Theatre of a recognised			
hospital of minimum 50 beds.			21
Note: Qualifications regarding experience			
are relaxable at the discretion of the	e e e		
competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates			
belonging to the Scheduled Castes and the			-
Scheduled Tribes, if, at any stage of			*
selection the competent authority is of the	*		
opinion that sufficient number of candidates	=		
belonging to these communities possessing			E
the requisite experience are not likely to be			
available to fill up the vacancies reserved for	5 9		× 47

In case of recruitment by		Circumstances in which
promotion or deputation or	what is its composition	Union Public Services
absorption grade from which		Commission is to be
promotion or deputation or		consulted in making
absorption to be made,		recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group-'C' Departmental Confirmation Committee	Not applicable.
	(for considering confirmation ) consisting of :-	·
	1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang	* "
	Hospital -Chairman;	* *
	2. Head of the Operation Theatre Department, Safdarjang Hospital -Member;	
2		

3. Deputy Director look	king after the work of	
Safdarjang Hospital i	n Directorate General of	
Health Services	-Member.	

[F. No. A.11018/51/2019-MH-II]G.P. SAMANTA, Under Secy.

#### नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि.76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (प्रशासन अधिकारी) और सहायक निदेशक (जीव रसायन) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक कि उनका संबध प्रशासन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टू, तिमलनाडु में प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तिमलनाडु, प्रशासन अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता**.— वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।